कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।

संख्या 5450/आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 31, मई 2014

1–मुख्य विकास अधिकारी
फर्रूखाबाद।
2–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
फर्रूखाबाद।
3–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार
4– उप निदेशक, कृषि
फर्रूखाबाद।
5– जिला कृषि अधिकारी
फर्रूखाबाद।
6– अधिशाषी अभियन्ता सिचाई, नलकूप, विद्युत
फर्रूखाबाद।
7– प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ
फर्रूखाबाद।
8– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
फर्रूखाबाद।
9–सहायक निबन्धक सहकारी समितियां
फर्रूखाबाद।
10–सहायक निदेशक,
मत्स्य फर्रूखाबाद।
11– जिला अग्रणी प्रबन्धक
फर्रूखाबाद।

दिनांक 30–05–2014 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में (आगरा) आयोजित खरीफ गोष्ठी में किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1– विद्युत आपूर्ति में आ रहीं वाधाओं को दूर किया जाय। विशेषकर निर्धारित अवधि में कटौती न होने दी जाय तथा वोल्टेज इतना रहे कि नलकूप चालू हो सकें।

2– जहां–जहां पुराने जर्जर विद्युत तार हों उनको तत्काल बदलवा दिया जाये।

3– जिले में मछली उत्पादन प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वियन किया जाये और कम से कम 5 मत्स्य उत्पादकों का चिन्हींकरण कर उनको सम्मिलित किया जाये।

4– तालाब आवंटन आगामी एक सप्ताह में (जो लम्बित पत्रावलियां है) पूरा कर दिया जाये।

5– एक टेल तक पानी सिंचाई हेतु नहीं पहुंचा था। अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई सुनिश्चित करें कि टेल तक पानी गांव में पहुंच जाये।

6– विभिन्न विकास कार्यक्रम में बैंक ऋण की प्रक्रिया निर्बाध एवं समयबद्व सुनिश्चित करायी जाये।

7– बकरी व मुर्गी पालन में विशेष ध्यान दिया जाये।

8– सघन मिनी डेयरी योजना तत्तपरता से लागू की जाये।

9– आगामी तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाये और इसमें आने वालीं किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से समाधान किया जाये।

10– जिले में कम से कम एक कस्टम हायरिंग सेन्टर खोला जाय जिसमें प्रगतिशील कृषक को विभिन्न संयंत्र उपलब्ध कराये जायें जो लघु एवं मध्यम कृषकों को किराये पर उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्णय/निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(एन0के0एस0 चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।